न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0—03/21—22

अनुग्रह यादव बनाम शम्भु प्रसाद वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
22/12/22	आवेदक अनुग्रह यादव पिता—स्व0 देवनाथ यादव, ग्राम—सरजामातु, अंचल—कुन्दा, थाना—कुन्दा, जिला—चतरा द्वारा वकालतनामा के साथ विविध अपीलवाद दाखिल किया गया है। यह अपीलवाद अंचल, कुन्दा के विविध वाद सं0—04/19—20 में दिनांक—20.03.2020 को पारित आदेश में शम्भु प्रसाद यादव पिता—स्व0 मोहिब उर्फ मोहित महतो, ब्रजेश यादव, उमाशंकर यादव दोनों पिता—स्व0 अशोक यादव, श्रीराम यादव, इन्द्रदेव यादव दोनों पिता—स्व0 राघो यादव, विजय यादव, पिता—स्व0 यदुनन्दन यादव, रामस्वरूप यादव, पिता—स्व0 जगलाल यादव, सभी साकिन—सरजामातु, अंचल—कुन्दा, थाना—कुन्दा, जिला—चतरा के विरूद्ध लाया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने—अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि—**''प्रार्थना पूर्वक आवेदक/अपीलान्ट के तरफ से अपील वाद—पत्र वास्ते विपक्षी के पूर्वज मोहिव महतो वो राघो महतो के नाम हटवाने हेतु श्रीमान् न्यायालय ने प्रस्तुत किया जाता है। इस अपील के द्वारा चाहा गया अनुतोष यह है कि अपील वाद को स्वीकृति किया जाय और नीचली अदालत विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा के आदेश 20.03.2020 ई को निरस्त किया जाय। यह कि आवेदक/अपीलान्ट मौजा—सरजामातु, थाना—कुन्दा, थाना नं0—138 के खाता संख्या—14 के प्लॉट संख्या—115, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 193, 199, 203, 208, 213, 216, 218, 223 के कुल रकवा—20.04 एकड़ के खतियानी रैयत नेमधारी महतो का वंशज है। यह कि नेमधारी महतो का एक बड़ा भाई तिलक महतो थे, जिनके नाम का जमीन वो पिता— खुशी महतो के नाम का जमीन का कोई वर्तमान में विवाद नहीं है, जिसका स्व0 तिलक महतो के वंशज को इस अपील वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। यह कि नेमधारी महतो अपनी पीछे दो पुत्र देवनाथ महतो वो गौरी महतो को छोड़कर मरे तथा गौरी महतो नावल्द मरे, जिस कारण देवनाथ महतो जमीन्दार को मालगुजारी अदा	

1 Misc

करके जमीन्दारी रसीद हासिल करके वो खेती बारी करके फसल को मशरफ में लेते रहे तथा जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकार को मालगुजारी अदा करके सरकारी रसीद हासिल करते रहे। यह कि देवनाथ महतो अपने नाबालीग पुत्र क्रमशः आवेदन अनुग्रह यादव वो प्रताप यादव, गोपाल यादव, विदयानन्द यादव, सूचित यादव, शम्भु यादव, नंदकिशोर यादव को छोड़कर वर्ष 1968 ई0 में मरे, तथा पत्नी सोहबतीया अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। जिस कारण चरण महतो वो लोचन महतो के द्वारा वाद भूमि पर बटाईदार के हैसियत से खेतीबारी करके फसल को आधा बॉटकर देते रहे, आवेदक एवं उनके छोटे भाई लोग पुरी तरह से निःसहाय हो गये। जिस क्रम में उक्त लोग वाद भूमि के उपज के आधे फसल में से कुछ बेचकर लगान अदा करने के नाम पर धोखा देकर मसो0 सोहबतीया देवी से दो पुराना रसीद ले लिये, जिसके बाद सोहबतीया देवी की मृत्यु हो गयी। जब आवेदकगण को होश हुआ तो लगान देने हेतु कर्मचारी से सम्पर्क किये और मॉग पंजी–2 देखा तो पाये कि मॉग पंजी में छेड़छाड कर मोहिब महतो वो राघो महतो का नाम जोड़कर चार दशक के बाद वर्ष 2016 ई0 रसीद निगत कर लिए, जबकि मोहिव महतो वो राघो महतो का नेमधारी महतो से कोई रक्त संबंध नहीं है, जिसकी पुष्टी वो प्रमाण हेतु उपमुखिया, प्रमुख वो वार्ड सदस्य से हस्ताक्षरित वंशावली के साथ आवेदन देकर मोहिव महतो वो राघो महतो का नाम मांग पंजी–2 से हटाने हेतु आवेदन दाखिल किये, जिसपर कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के पश्चात् वाद सख्या–04/2019–20 कायम हुआ, जिस आवेदन को विद्वान अंचल अधिकारी कुन्दा ने बेगैर सुनवाई के दिनांक–20.03.2020 ई0 को खारिज कर दिये, जिस आदेश से आवेदक/अपीलान्ट असंतुष्ट होकर निम्न आधार बिन्दुओं के तहत श्रीमान् न्यायालय में अपील दाखिल कर रहे हैं। **मुख्य आधारे** – चूँकि विद्वान निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, कुन्दा का फैसला विधि संगत नहीं है, जिस कारण निरस्त होने योग्य है। चूँकि विद्वान निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, कुन्दा ने यह विनिश्चय करके गलती की है, कि प्रश्नगत भूमि का वर्ष 29.11 1955 से देवनाथ महतो, मोहिव महतो, राघो महतो के नाम से जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हुआ है। चूँकि विद्वान निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, कुन्दा ने विनिश्चय करके गलती की है कि रसीद संख्या 724100 नेमधारी महतो के नाम से निर्गत है। चूँकि विद्वान निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, कुन्दा ने विनिश्चय करके गलती की हे कि रसीद संख्या–477448 देवनाथ महतो, मोहिव महतो, राघो महतो के नाम से निर्गत है। चूँकि विद्वान निम्न न्यायालय, अंचल अधिकारी, कुन्दा ने शुद्विपत्र, आम इश्तिहार नोटिस वो दाखिल खारीज रजिस्टर के अनुपस्थिति में यह विनिश्चय करके गलती की है कि Correction Slip No. 1909 dt. 29.11.1955 showing mutation in the name of Deonath Mahto, Mohiv

माँग पंजी में उल्लेखित बात सही है। चूँकि Correction Slip No. 1909 dt. 29.11.1955 showing mutation in the name of Deonath Mahto, Mohiv and Ragho Mahto as place of Nemdhari mahto उल्लेखित मांग पंजी–2 में यह उल्लेखित नही है कि किसके द्वारा और कब अंकित किया गया और प्रथम दृष्टया से हाल के स्याही प्रतित होने के बावजुद निम्न न्यायालय ने यह विनिश्चय करने में गलती की है कि मांग पंजी–2 में छेड़ छाड़ नही है। चूँकि मांग पंजी–2 में उल्लेखित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वह विधि विरूद्ध है फिर भी निम्न न्यायालय ने विनिश्चय करके गलती की है कि मांग पंजी–2 में उल्लेखित तथ्य सही है। चूँकि विद्वान निम्न न्यायलय अंचल अधिकारी ने उतराधिकारी बंटवारा दाखिल खारिज के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मोहिव महतो व राघो महतो का मांग पंजी–2 में हाल के रौशनी वो लिखावट को छेड़–छाड़ नही मान लेने के कारण भी आदेश दिनांक–20.03.2020 निरस्त होने योग्य है। चूँकि विद्वान अंचल अधिकारी का विनिश्चय बिना अभिलेख पर आये साक्ष्य के कारण विधि विरूद्ध और प्रवर्तनीय विधि के विरूद्ध है। चूँकि विपक्षीगण के द्वारा मांग पंजी–2 छेड़छाड़ कराये जाने का पूरी तरह साक्ष्य मिलने के बावजुद विपक्षी के विरूद्ध धारा 340 द0 प्र0 सं0 के तहत विपक्षी को दण्डित न करके अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने की गलती की है, आदेश निरस्त होने योग्य है। चूँकि विद्वान निम्न न्यायालय ने अपीलान्ट के अनुपस्थिति में बगैर सुनवाई के पिछे का तारीख में दिखाकर माह जुलाई, 2020 ई0 में आदेश पारित किया है, जिस कारण भी निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। चूँकि निम्न न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह विनिश्चय करने में गलती की है कि विपक्षीगण खुशी महतो का वंशज है। चूँकि विपक्षी शम्भु प्रसाद यादव के द्वारा अपनी मौसेरी बहन मुखिया ज्ञानती देवी के हस्ताक्षरित वंशावली के ऐलावा कोई दस्तावेज साक्ष्य रिकार्ड पर खुशी महतो का वंशज होने का दाखिल नहीं किया है, फिर भी विद्वान निम्न न्यायालय, अंचल अधिकारी ने विपक्षी को खुशी महतो का वंशज मान लिया, जो गलत है, जिस कारण निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। चूँकि विपक्षीगण बहुसंख्यक हैं पहुँच के बल पर जाली दस्तावेज बनवाकर गलत कथन करके अपीलान्ट का बहुमूल्य सम्पति को हड़पने का रोज– बरोज षड़यंत्र वो धोखा से कागज पर कागज बनाकर अपीलान्ट को बेदखल करने का योजना कर रहे हैं, जिस कारण निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। चूँकि अपीलान्ट के द्वारा दिनांक–13.07.2020 को अंचल कार्यालय कुन्दा में वाद के सुनवाई हेतु तारीख पुछे तो बताये कि आदेश कर दिये हैं, तब अपीलान्ट ने दिनांक–14.07.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिये, तब बहुत प्रयास के बाद अंचल कार्यालय, कुन्दा से दिनांक–24.07.2020 को नकल प्राप्त करके सह अंतर्गत धारा 5 परिसिमा

अधिनियम के तहत आवेदन के साथ अपील ज्ञापांक दाखिल किये हैं। चूँकि विद्वान निम्न न्यायालय के रिकार्ड पर यह साक्ष्य उपलब्ध नही है कि विपक्षी खुशी महतो का वंशज है, जिसे निम्न न्यायालय ने नजर अंदाज करके आदेश पारित किया है, जिसकारण निमन न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि अपील वाद ग्रहण के बाद विपक्षी के तलब करके सुनवाई के पश्चात् विद्वान निम्न न्यायालय का आदेश फैसला को निरस्त किया जाय और निम्न न्यायालय, अंचल अधिकारी, कुन्दा को मांग पंजी-2 से मोहिब महतो एवं राघो महतो का नाम हटाने का निर्देश पारित किया जाय और साथ हीं अन्तिम फैसला आने तक विपक्षी के पूर्वज का नाम से रसीद निर्गत होने से रोका जाय, ताकि हक रसी हो।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''यह कि प्रश्नगत भूमि खाता सख्या-14, प्लॉट संख्या-115, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 193, 199, 203, 208, 213, 216, 218, 223 कुल रकवा-20.04 एकड़ भूमि मौजा-सरजामातु, थाना नं0-138, थाना-कुन्दा, जिला-चतरा सर्वे खतियान में नेमधारी महतो पिता-खुशी महतो के नाम से दर्ज है। यह कि प्रश्नगत खाता संख्या-14, मौजा-सरजामातु खेवट सख्या-04 से बना जिसके ''खेवटदार'' खुशी महतो थे। अपिलार्थी एवं विपक्षीगण खुशी महतो के वंशज हैं। यह कि खेवटदार खुशी महतो अपने पीछे सात पुत्रगण क्रमशः नेमधारी महतो, तिलक महतो, बेचन महतो, रामदेव महतो, रामु महतो, चरण महतो, लोचन महतो यह कि विपक्षीगण अपने लिखित कथन में यह उल्लेखित किया है कि अपीलार्थी गलत तथ्यों के आधार पर अपिल दाखिल किया है, जो विधि संगत नहीं है तथा खारिज के लायक है। वर्तमान अपील वाद आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी अपने भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया है। यह कि अपीलार्थी का यह अपील वाद काल बाधित है, As per mutation law sec. 15 which provies that any appeal, shall lie to the land reform Deputy Collector against the order of Circle of Anchal Adhikari within thirty days. यह कि विपक्षीगण ने लिखित कथन में खेवटदार नं0 04 खुशी महतो का वंशावली दर्शाया है, जिसके अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण रेस्पोण्डेण्ट शम्भू प्रसाद यादव वगैरह खुशी महतो के वंशज हैं। यह कि विपक्षीगण/रेस्पोण्डेन्टगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अंचल कार्यालय कुन्दा के पूर्वज मोहित महतो एवं राघो महतो का नाम प्रश्नगत खाता, प्लॉट के अंतर्गत लम्बे अरसे से कायम जमाबंदी डिमाण्ड पंजी-2 से नाम विलोपित Delete करने का आवेदन पत्र लगभग 65 वर्षों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद दिया गया है, जो कालबाधित है तथा लिमिटेशन एक्ट के विरूद्ध है। यहाँ पर उल्लेखनीय तथ्य यह

है कि अपीलार्थी के दादा एवं पिता द्वारा कभी चैलेन्ज नहीं किया गया तथा तीसरी पीढ़ी के द्वारा यह चैलेन्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध है तथा खारीज के लायक है। यह कि विपक्षीगण/रेस्पोण्डेन्टगण के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में यह अभिकथन किया गया है कि खुशी महतो के उपरोक्त सातों पुत्रगण क्रमशः नेमधारी महतो तिलक महतो बेचन महतो रामदेव महतो रामु महतो, चरण महतो लोचन महतो खुशी महतो के संयुक्त परिवार में सम्मिलत रूप से साथ–साथ रहते थे। विपक्षीगण ने आगे यह भी कथन किया है कि खुशी महतो अपने जीवन काल में मौजा–''सरजामातु'' के अंतर्गत खाता संख्या–14, कुल रकवा–20.04 एकड़ जमीन एवं अन्य मौजा–''खपिया'' के अंतर्गत रकवा–11.20 एकड़ जमीन हासिल किये थे। हिन्दु मिताक्षरा विधि के अनुसार पिता द्वारा हासिल सम्पति पर सभी पुत्रों का सामान अधिकार हक–हिस्सा बनता है। विपक्षीगण ने आगे यह भी बतलाया कि खुशी महतो की मृत्यु अपने पत्रों के संयुक्त जमा सामाज में हुई तथा इनके मरने के बाद विपक्षीगण के पूर्वजों के द्वारा सम्मिलात रूप से श्राद्ध कार्य भोज भण्डरा किया गया तथा संयुक्त रूप से अपने पिता द्वारा हासिल सम्पति प्रश्नगत भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के बावत स्वामित्व, अधिकार एवं दखल–कब्जा में आयें। यह कि विपक्षीगण/रेस्पोण्डेन्टगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि खुशी महतो के सात पुत्रों में से तीन पुत्रगण क्रमशः बेचन महतो, रामदेव महतो एवं रामु महतो नावल्द मरे गये। विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी कथन किया है कि खुशी महतो चारों पुत्रों के परिवार के संख्या में वृद्धि होने एवं खेती–बारी करने लगान रेन्ट देने में असुविधा होने लगी, फलस्वरूप आपस में सुविधानुसार अपने पिता द्वारा हासिल सम्पति प्रश्नगत खाता, प्लॉट के अंतर्गत भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का आपस में सुविधानुसार बंटवारा कर लिऐ तथा बंटवारा में प्राप्त हिस्से पर दखल–काबिज हुए। खुशी महतो का अन्य पुत्र तिलक महतो, मौजा–खजिपया में बस गये, इसलिए मौजा–सरजामातु में इनको हक–हिस्सा नहीं मिला, इसके बदले में मौजा–खपिया की भूमि तिलक महतो को आपसी बंटवारा में जमीन दिया गया तथा मौजा–सरजामातु के जगह जमीन से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा, जिसकी सम्पुष्टी तिलक महतो का पुत्र सुरेश महतो उर्फ सुरेश यादव, साकिन मौजा–खपिया, थाना–कुन्दा द्वारा दिनांक–03.03.2020 को इस आशय का शपथ पत्र दाखिल किया गया कि इनके पिता तिलक महतो को मौजा–सरजामातु के जमीन के बदले मौजा खपिया की भूमि हिस्से में दिया गया। इसमें खुशी महतो के तीन पुत्रों नेमधारी चरण महतो, लोचन महतो को मौजा–खपिया के अंतर्गत भूमि पर कोई हक नहीं रहा। सुरेश महतो एवं सुरेश यादव द्वारा दाखिल शपथ पत्र का अवलोकन के पश्चात् यह भी स्पष्ट होता है कि इन्होनों मौजा–सरजामातु के अंतर्गत भूमि पर नेमधारी महतो, चरण महतो एवं लोचन महतो के बीच आपसी

बंटवारा का समर्थन किया है। विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी उल्लेखित किया है कि खुशी महतो के मरने के बाद इनका बड़ा पुत्र नेमधारी महतो संयुक्त परिवार के कर्त्ता मालिक बने तथा इनके दोनों छोटा भाई चरण महतो एवं लोचन महतो अपने बड़े भाई नेमधारी महतो के साथ संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में साथ साथ रहे तथा खेतीबारी करके फसल उपजाने लगे तथा जमीन्दार को लगान देकर संयुक्त रूप से जमीन्दारी रसीद प्राप्त किये, जमीन्दारी खत्म होने के बाद B.L.R Act 1950 Came in force प्रभावी होने के बाद नेमधारी महतो वगैरह के नाम से Jointly सरकारी रसीद प्राप्त किये। विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि नेमधारी महतो, चरण महतो एवं लोचन महतो के बीच आपसी सहमति से प्रश्नगत भूमि का बंटवारा करके तीन भागो में जमीन का बंटवारा किये तथा बटवारा के अनुसार नेमधारी महतो के स्थान पर इनका बड़ा पुत्र देवनाथ महतो, मोहित महतो एवं राघो महतो का नाम बंटवारा एवं दखल–कब्जा के आधार पर अंचल कार्यालय, प्रतापपुर अंचल से विधिवत दाखिल खारीज होकर शुद्धि पत्र (Correction Slip) दिनांक–29.11.1955 को निर्गत किया गया तथा तिनों व्यक्तियों के नाम पर सरकारी रसीद निर्गत किया गया तथा डिमाण्ड पंजी–2 में नाम दर्ज हुआ, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सरकार द्वारा रैयती का दर्जा प्रदान किया तथा लगातार 65 वर्षो से ज्यादा सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। यह कि विपक्षीगण ने आगे यह उल्लेखित किया है कि प्रश्नगत खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–115, रकवा–0.40 डी० जमीन मौजा–सरजामातु के अतिरिक्त अन्य खाता प्लॉट के बावत जमीन का विपक्षीगण शम्भु प्रसाद यादव वगैरह का स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा को देखकर निबंधित केवाला संख्या–4128 दिनांक–23.09.2010 ई को पिता स्व० देवनाथ यादव के पौत्रगण के द्वारा जमीन का खरीद की गई है, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि देवनाथ महतो के वंशजों (पौत्रगण के द्वारा विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा को स्वीकार किये। उपरोक्त खरीदारों के नाम से अंचल कार्यालय, कुन्दा से दाखिल खारीज होकर सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। विपक्षीगण ने आगे यह भी कथन किया है कि इसके अतिरिक्त विपक्षीगण ने प्रश्नगत खाता प्लॉट के अंतर्गत भूमि का अन्य रैयतों के पक्ष में निबंधित केवाला संख्या–6596 से प्रेमी देवी पति अलखदेव यादव, कुन्ती देवी पति रामस्वरूप यादव के पास निबंधित केवाला संख्या–4341 से जमीन बिक्री किये हैं तथा खरीददार लोग दखल–कब्जा में चले आ रहे हैं एवं इनके नाम से दाखिल खारीज होकर सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। यह कि विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि अंचल अधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा स्थल जॉच–पड़ताल किया गया तथा स्थल

निरीक्षण के क्रम में उपस्थित ग्रामीण द्वारा बतलाया गया कि विपक्षीगण मौखिक बंटवारा के अनुसार जोत–कोड़ कर रहे हैं राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जॉच–ड़ताल एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन के पश्चात् अपना जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित करते हुए लिखा है कि प्रश्नगत भूमि उभय पक्षकार के पूर्वज का तथा वर्तमान में उभय पक्षकार का दखल–कब्जा है। आपसी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हक हिस्से की भूमि जोत–कोड़ करते चले आ रहे हैं तथा फसल उपजाते चले आ रहे हैं। राजस्व कर्मचारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में यह भी दर्शाया कि विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि पर घर मकान बना हुआ है। विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी कथन किया है कि राजस्व कर्मचारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में आगे यह भी लिखा है कि मौजा–खपिया के अंतर्गत भूमि के बावत डिमाण्ड पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–12/1 में खुशी महतो के नाम से जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2014–15 तक रसीद निर्गत है। यह कि विपक्षीगण/रेस्पोण्डेन्टगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि अपीलार्थीगण का यह कहना सरासर गलत है कि विपक्षीगण के पूर्वज मोहित महतो एवं राघो महतो अपीलार्थी के वंशज में नहीं आते है, इस संदर्भ में विपक्षीगण अपने दावे के समर्थन में वार्ड सदस्य एवं मुखिया से अभिप्रमाणित करके शपथ पत्र से सम्पुष्ट वंशावली अंचल कार्यालय में दाखिल किया गया, इसके अतिरिक्त मौजा–खपिया के सर्वे खतियान खुशी महतो के नाम का तथा सुरेश यादव पिता तिलक महतो, साकिन–मौजा खपिया द्वारा शपथ पत्र से सम्पुष्ट सत्यापित प्रतिलिपि इस आशय का दिया गया कि विपक्षीगण खुशी महतो वंशज हैं। उपमुखिया एवं वार्ड सदस्य के द्वारा निर्गत वंशावली का अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण खुशी महतो के वंशज हैं। खुशी महतो का सात पुत्रगण जिसमें तीन पुत्रगण बेचन महतो, रामदेव महतो, रामु महतो नावल्द मरे गये। शेष दो पुत्रगण चरण महतो एव लोचन महतो में वलित्यत चला, वंशावली का अवलोकन के पश्चात् यह भी स्पष्ट होता है कि खुशी महतो का बड़ा लड़का नेमधारी महतो सर्वे के समय बालिग था तथा अन्य इनके भाई चरण महतो एवं लोचन महतो वगैरह नाबालिग थे तथा अपने भाई नेमधारी महतो के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी उल्लेखित किया है कि अपीलार्थीगण का यह कहना सरासर गलत है कि वंशावली "प्रमुख" के मेल में लाकर तथा अपीलार्थी के अपना Relation भगिन पतोहु लगती है, इस संदर्भ में यह कहना है कि "प्रमुख" दोनों पक्षों का Relation है तथा अपीलार्थी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दोषारोपण किया जाता है। यह कि विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा राजस्व अभिलेख एवं राजस्व कर्मचारी एवं अचंल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपने आदेश फलक में यह

उल्लेखित किया है कि अंचल कार्यालय में उपलब्ध पुरानी ऐपेन्डिक्स बी (3) के अवलोकनोपरांत प्रश्नगत भूमि में रैयत का नाम नेमधारी महतो लिखा गया है, जिसे काटकर देवनाथ महतो, मोहिब महतो एवं राघो महतो का नाम अंकित किया गया है कि अदल–बदल करने के लिए हुक्म वाले कॉलम में Correction slip No 1909 dated 29.11.1955 showing mutation in the name of Deonath Mahto Mohib Mahto and Ragho Mahto in place Of Nemdhari Mahto 29.11.1955 के बाद जो भी सरकारी रसीद निर्गत हुआ है, उसमें रैयत का नाम देवनाथ महतो, मोहिब महतो, राघो महतो का नाम अंकित है, इस तरह अपीलार्थी का यह कहना सरासर गलत है कि डिमाण्ड पंजी–2 वर्ष 2016 ई0 में छेड़छाड कर राजस्व रसीद निर्गत करने का आरोपर बेबुनियाद एवं निराधार है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत खाता प्लॉट के अंतर्गत भूमि के बावत जाली सरकारी रसीद बनवाकर अंचल कार्यालय में जमा किया था, जिसका विस्तृत विवरण अंचल अधिकारी अपने आदेश फलक में किया है। यह कि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील वाद के कंडिका 3 में लिखी गई बातें गलत एवं मिथ्या है, जबकि सच्चाई यह कि तिलक महतो, नेमधारी का बड़ा भाई नही था, बल्कि छोटा भाई था। यह कि अपीलार्थी द्वारा अपना लिखित अपील आवेदन पत्र के कंडिका 04 एवं 05 में लिखी गई बातें काल्पनिक तथ्यों के आधार पर लिखि गई है, जो असत्य है, जबकि सच्चाई यह है कि नेमधारी महतो संयुक्त परिवार के कर्ता थे तथा इनके अन्य भाई लोग चरण महतो, लोचन महतो वगैरह साथ–साथ रहकर कृषि कार्य करते थे तथा शामिलात रूप से जमीन्दार को लगान देते थे। लोचन महतो एवं चरण महतो अपने अपने Co-sharer के हैसियत से खेती–बारी करके फसल उपजाते थे। अंचल कार्यालय में अपीलार्थी एवं विपक्षीगण के पूर्वजों के बीच आपसी बंटवारा के अनुसार डिमाण्ड खुलकर सरकारी रसीद निर्गत हुआ तथा डिमाण्ड पंजी–2 में नाम दर्ज हुआ। यह कि अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र में लिखी गई बातें असत्य तथा सत्य से परे हैं, अपीलार्थी गलत तथ्यों के आधार पर एवं मनगढ़ंत कहानी के आधार पर अपना अपील आवेदन पत्र में बातों का जिक्र किया है, जिसे विपक्षीगण इन्कार करते हैं। यह कि अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत् Legal and valid है तथा राजस्व अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है। यह कि विपक्षीगण/रेस्पोंडेन्टगण ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया हे कि विधि का सिद्धान्त है कि Long running Zamabandi cannot be cancelled इस संदर्भ में झारखण्ड उच्च न्यायलय, रॉची In J.C.R 2004 (1) Jharkhand Page 417 में आदेश पारित करते हुए अभिनिर्धारित किया है–Name running in the revenue records since 1969 rent receipt issued by the state land Reform Deputy collector had no jurisdiction to cancel the Jamabandi further Jharkhand

High Court J.C.R. 2008 (3) Page No.143 had held that cration of Zamabandi in favour of petitioners accepting then as tenant under the state and occupting the rent from the several decades creates valuable right in favour of petitioner Addl. Collector acted without authority in passing the order of cancellantion of Zamabandi. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील वाद को खारिज करने का दया दर्शावे एवं अचंल अधिकारी, कुन्दा पारित आदेश विविध वाद संख्या–01/2019–20 दिनांक–20.03.2020 के आदेश को Confirm करने का आदेश पारित करने दया दर्शावे।

अचंल अधिकारी, कुन्दा द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि–"अभिलेख का संधारण प्रथम पक्षकार श्री अनुग्रह यादव मौजा–सरजामातु से प्राप्त आवेदन जिसमें उल्लेखित विषय कि मौजा–सरजामातु अंतर्गत खाता संख्या–14 के प्लॉट सख्या–115, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 193, 199, 203, 208, 213, 216, 218, 223 कुल रकवा–20.04 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में नेमधारी महतो के नाम रैयती कायमी दर्ज है तथा जमाबंदी देवनाथ महतो के नाम है, जिसे पूर्व राजस्व कर्मचारी ने पंजी–2 को छेड़–छाड़ कर मोहिव महतो –व– राघो महतो साकिन–सरजामातु के नाम राजस्व रसीद निर्गत कर दिया गया है, के आवेदन पर किया गया। प्राप्त आवेदन के आलोक में सभी संबंधित व्यक्ति (प्रश्नगत भूमि से संबंधित) को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भू–विवाद मामले में अपना–अपना बयान दर्ज कराने हेतु निदेश दिया साथ ही संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अं0 निरीक्षक से भूमि प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रश्नगत भू–विवाद मामले में उभय पक्षकार लगातर उपस्थित रहे है तथा दोनो पक्षकार अपना–अपना भू–कागजात की प्रति के साथ लिखित बयान–व–वंशावली प्रस्तुत करते हुए अपना–अपना दावा इसे न्या0 को अवगत करायें साथ ही हल्का–राजस्व उपनिरीक्षक/प्र0 अं0 नि0, कुन्दा का प्रतिवेदन –व– भूमि पर दखल–कब्जा संबंधी प्रतिवेदन आदि प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैः–

प्रथम पक्षकार का दावा –व– अभिकथनः– प्रश्नगत भूमि स्व0 नेमधारी महतो के नाम खतियान दर्ज है। स्व0 नेमधारी महतो के दो पुत्र थे (1) गौरी महतो जो नावल्द थे और उनका स्वर्गवास हो चुका है (2) देवनाथ महतो थे जिनके नाम से 1952 ई0 में सिर्फ देवनाथ महतो के नाम रसीद निर्गत हुआ है जिसका रसीद संख्या–724100 है जो दिनांक–26.12.1952 को निर्गत हुआ है। यह कि और भी रसीद को निर्गत हुआ है। यह कि और भी रसीद इनके (प्रथम पक्षकार) पिताजी (देवनाथ महतो) के नाम सरकारी रसीद दिनांक–30.04.1962 रसीद संख्या–477448 निर्गत हुआ है। यह कि लगभग 1968–69 में इनके पिताजी (देवनाथ महतो) का निधन हो गया उस समय इनकी उम्र 10–12 वर्ष की

थी इसके बाद ही किसी कर्मचारी के द्वारा पंजी–2 को छेड़छाड़ कर लगभग (4) दशक के बाद स्व0 देवनाथ महतो के अलावे मोहिव महतो एवं राघो महतो के नाम जोड़कर 2016 ई0 में रसीद निर्गत कर दिया गया है जो कि मोहिव महतो एवं राघो महतो इनके वंशज में नही आते है जॉच पड़ताल कर उचित न्याय की मांग किये है। साक्ष्य के रूप में प्रश्नगत भूमि संबंधी क्रमिक खतियान की प्रति एवं दो राजस्व रसीद सख्या 724100, 477448 की प्रति एवं उप मुखिया से हस्ताक्षरित वंशावली की प्रति सुपूर्द किये है।

द्वितीय पक्षकार का दावा –व– अभिकथन–प्रश्नगत भूमि क्रमिक खतियान के अनुरूप मध्यवर्ती भू–स्वामी खुशी महतो के नाम दर्ज है तथा अभिधारी में नाम नेमधारी महतो पिता–खुशी महतो मौजा–सरजामातु दर्ज है। इन्होने शपथ पूर्वक बयान दिया है कि (1) खुशी महतो इनके पूर्वज थे प्रमाण स्वरूप वंशावली–तालिका ग्राम–पंचायत मुखिया से हस्ताक्षरित प्रति/शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो अभिलेखबद्ध है और उक्त तालिका नीचे में अंकित है। (2) खुशी महतो के साथ पुत्र थे, जिसमें से तीन पुत्र नावल्द मृत हो गए। खुशी महतो ने हिन्दु मिताक्षरा कानून के तहत् एक संयुक्त हिन्दु परिवार का गठन किया एवं अपने जीवनकाल में प्रश्नगत भूमि हासिल किये। (3) भूमि स्वामी खुशी महतो के पुत्रों ने पूर्वज के भूमि पर आपसी बटवारा के अनुसार तीन पुत्र **नेमधारी महतो, चरण महतो एवं लोचन महतो,** साकिन–सरजामातु थाना–कुंदा जिला–चतरा में तथा शेष एक पुत्र तिलक महतो ग्राम–खपिया थाना–कुन्दा जिला–चतरा में जगह जमीन के साथ बस गये इसलिए सरजामातु स्थित प्रश्नगत भूमि पर तिलक महतो या इनके उत्तराधिकारी का कोई हक हिस्सा हकियत या दखल–कब्जा नहीं रहा। (4) नेमधारी महतो, खुशी महतो के बड़े पुत्र थे। नेमधारी महतो अपने उपरोक्त अन्य दोनो भाई चरण महतो एवं लोचन महतो के साथ सामिलात रहकर संयुक्त परिवार का कर्ताधर्ता थे। इसलिए सर्वे के दौरान प्रश्नगत भूमि का खतियान अन्य भाईयों के साथ सामिलात रहते हुए नेमधारी महतो (मुखिया) के नाम दर्ज हुआ नेमधारी महतो चरण महतो एवं लोचन महतो सामिलात रूप से रहते प्रश्नगत भूमि पर दखलकार रहकर जमीन्दारी मालगुजारी तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी मालगुजारी रसीद नेमधारी महतो के नाम से हासिल किये। (5) नेमधारी महतो चरण महतो एवं लोचन महतो द्वारा प्रश्नगत भूमि का तीनों भाई का आपसी सहमति एवं आपसी बटवारा के द्वारा तीन भाग में बाट दिया गया तथा बटवारा के अनुरूप नेमधारी महतो के स्थान पर उपरोक्त तीनों भाई के बड़े लड़के देवनाथ महतो मोहिव महतो एवं राघो महतो के नाम से प्रश्नगत जमीन का दाखिल खारिज प्रतापपुर अंचल द्वारा आदेश पारित किया गया जो नेमधारी महतो के स्थान पर देवनाथ महतो, मोहिव महतो एवं राघो महतो के नाम शुद्धि पत्र निर्गत किया गया जिसका शुद्धि पत्र संख्या–1909

दिनांक–29.11.1955 है। इस तरह दिनांक–29.11.1955 से उपरोक्त तीनों व्यक्ति देवनाथ महतो, मोहिव महतो एवं राघो महतो तथा इन सभी के उत्तराधिकारी प्रश्नगत भूमि का मालगुजारी देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे है। साथ ही प्रश्नगत भूमि पर सामिलात रूप से आपसी बटवारा के अनुसार अपने–अपने हिस्सा के मुताबिक दखल–कब्जा में है तथा विभिन्न तरह का फसल उपजाकर अपना–अपना भोग तशरूफ में ला रहे है तथा सबका घर मकान बना हुआ है। (6) प्रश्नगत भूमि अंतर्गत अपने हक हिस्सा की भूमि मे से प्लॉट संख्या–115, रकवा–0.04 ए0 की भूमि द्वितीय पक्षकार के शंभु प्रसाद यादव ने (1) अमलेश कुमार यादव, (2) सुरेश कुमार यादव पिता–शंभु यादव साकिन–मौजा सरजामातु जो नेमधारी यादव (प्रथम पक्षकार) के वंशज है, को निबंधित केवाला संख्या–7128 दिनांक–23.09.2010 से उल्लेखित भूमि बिक्री किया है जो साक्ष्य के रूप में संलग्न है। इसके अलावा प्रश्नगत भूमि अंतर्गत हक हिस्सा के अनुरूप प्रेमी देवी पति–अलखदेव यादव, कुन्ती देवी, पति–रामस्वरूप यादव के पास भूमि बिक्री हुआ जिसका दाखिल खारिज हुआ है। अन्त में इन्होनें प्रथम पक्ष का दावा को अवैध बताया है। वंशावली आदेश पत्रक में अंकित है।

<u>वर्तमान राजस्व उपनिरीक्षक–सह– प्र0 अंचल निरीक्षक का राजस्व प्रतिवेदन–</u> प्रश्नगत भूमि खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। वर्तमान पंजी–2 के पृ0 संख्या–172/1 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्तमान में कुल रकवा–19.15 ए0 ही है जो देवनाथ महतो पिता–नेमधारी महतो, मोहिव महतो, पिता–लोचन महतो और राघव महतो पिता–चरण महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है जिसका अंतिम लगान वर्ष 2016–17 रसीद संख्या–011220 दिनांक–30.08. 2016 तक निर्गत है। दिनांक–18.02.2020 को प्रश्नगत भूमि का स्थल जॉचोपरांत जहाँ दोनों पक्षकार तथा ग्रमीणों की उपस्थिति में पूछ–ताछ के दौरान प्रश्नगत भूमि पर मौखिक बटवारा के अनुरूप उभय पक्षकार का दखल कब्जा पाया गया साथ ही द्वितीय पक्षकार के अभिकथन जिसमें उल्लेखित विषय ग्राम–खपिया अंतर्गत भूमि संबंधी मामले की जॉच दिनांक–17.03.2020 को किए जाने उपरांत यह पाया गया कि पंजी–2 पृष्ठ संख्या–12/1 पर कायम जमाबंदी खुशी महतो के नाम दर्ज है तथा राजस्व रसीद वर्ष 2014–15 तक निर्गत है इस भूमि पर तिलक महतो के वंशज का दखल कब्जा है तथा फसल उगाकर उपभोग में ला रहे है। प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं दिनांक–12.02. 2020 को भूमि विवादस्थल पर जाकर उभय पक्षकारों तथा उपस्थित ग्रामीणों के बीच किया। ग्रामीणों से पुछ–ताछ के क्रम में यह पाया की प्रश्नगत भूमि उभय पक्षकार (अनुग्रह यादव बनाम शम्भु प्रसाद यादव वगैरह) के पूर्वज का रैयती भूमि है तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व से ही उभय पक्षकार के पूर्वज का तथा वर्तमान में उभय पक्षकार का दखल कब्जा बरकरार है। आपसी बटवारे (मौखिक) के

हिसाब से अपने–अपने हक के मुताबिक उभय पक्षकार प्रश्नगत भूमि पर जोत–कोड़ करते आ रहे है फसल उगाते आ रहे है और उपभोग में ला रहे है। प्रश्नगत भूमि पर सभी पक्षकार का पुराना/नया घर मकान बना हुआ है। कार्यालय में उपलब्ध पुरानी एपेन्डिक्स बी (3) के अवलोकनोपरांत प्रश्नगत भूमि में रैयत का नाम नेमधारी महतो लिखा गया है, जिसे काटकर देवनाथ, मोहिव तथा राघो महतो का नाम अंकित किया गया है तथा अदल–बदल करने के लिए हुक्म वाले कॉलम में Correction slip No 1909 dt 29.11.55 showing mutation in the name of deonath mato mohiv mahto and Ragho mahto in place of nemdhari mahto उल्लेखित है। जहाँ तक प्रथम पक्षकार के दावा में उल्लेखित तथ्य की रसीद सख्या–724100 का वर्णन है यह राजस्व रसीद नेमधारी महतो के नाम निर्गत हुआ है अर्थात दिनांक–29.11.1955 के बाद जो राजस्व रसीद निर्गत हुए है उन सभी में उक्त तीनों व्यक्ति देवनाथ महतो, मोहिव महतो और राघो महतो का नाम रैयत के नाम में दर्ज है और दिनांक–29.11.1955 के पूर्व के सभी निर्गत राजस्व रसीद में रैयत का नाम नेमधारी महतो अंकित है। इस तरह प्रथम पक्षकार ने फर्जी तरीके से राजस्व रसीद को अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया और इनके द्वारा वर्ष 2016 में पंजी–2 को छेड़–छाड़ कर गलत तरीके से राजस्व रसीद निर्गत किए जाने का लगाया गया आरोप भी निराधार है तथा तथ्य से परे है, वही विपक्षी/ द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रत्युतर में प्रस्तुत दावा–व– अभिकथन सही प्रतीत होता है। अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभय पक्षकारों का दावा–व–अभिकथन, राजस्व उपनिरीक्षक–सह–प्र0 अं0 नि0, कुन्दा द्वारा प्रस्तुत राजस्व –व– भौतिक जॉच प्रतिवेदन, अद्यो0 द्वारा प्रश्नगत भू विवाद भूमि का स्थल निरीक्षण, कार्यालय में उपलब्ध राजस्व कागजातों का अवलोकन तथा उभय पक्षकरों के बातो को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा हुँ कि प्रश्नगत भूमि क्रमिक खतियान के अनुसार मध्यवर्ती भू–स्वामी खुशी महतो के नाम दर्ज है तथा अभिधारी में नाम नेमधारी महतो पिता–खुशी महतो ग्राम–सरजामातु दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष के पूर्वज देवनाथ महतो, मोहिव महतो–व–राघो महतो के समय से ही दखल कब्जा रहा हैं। तथा उक्त तीनों व्यक्ति का नाम लम्बे अर्सो दिनांक–29.11.1955) से जमाबंदी कायम है तथा उक्त तीनों व्यक्ति के नाम प्रश्नगत भूमि का लगातार राजस्व लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत हुआ है। वर्तमान अवधि में भी प्रश्नगत भूमि पर उक्त तीनों व्यक्ति देवनाथ महतो, मोहिव महतो एवं राघो महतो के वंशजों का दखल कब्जा बरकरार है। उभय पक्ष के लोगों का आपसी बंटवारा के मुताबिक प्रश्नगत भूमि पर पुराना–नया घर मकान बना हुआ है/फसल पैदा कर अपने–अपने उपभोग में ला रहे है साथ ही उभय पक्ष के बीच प्रश्नगत भूमि का क्रय विक्रय हुआ है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम पक्षकार द्वारा लाया गया प्रश्नगत भू विवाद मामले में प्राप्त दावा

को खारिज करते हुए आवेदन को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों, अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. रैयती भूमि का मामला।
2. वंशावली का विवाद।
3. लंबे समय से कायम जमाबंदी का मामला।

1) **रैयती भूमि का मामला – प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**"यह कि आवेदक/अपीलान्ट मौजा–सरजामातु, थाना–कुन्दा, थाना नं0–138 के खाता संख्या–14 के प्लॉट संख्या–115, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 193, 199, 203, 208, 213, 216, 218, 223 के कुल रकवा–20.04 एकड़ के खतियानी रैयत नेमधारी महतो का वंशज है।" **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**"यह कि प्रश्नगत भूमि खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–115, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 193, 199, 203, 208, 213, 216, 218, 223 कुल रकवा–20.04 एकड़ भूमि मौजा–सरजामातु, थाना नं0–138, थाना–कुन्दा, जिला–चतरा सर्वे खतियान में नेमधारी महतो पिता–खुशी महतो के नाम से दर्ज है।" राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि–" **प्रश्नगत भूमि खतियान के अनुसार रैयती खाते की है।"**

2) **वंशावली का विवाद – प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**"यह कि आवेदक/अपीलान्ट मौजा–सरजामातु, थाना–कुन्दा, थाना नं0–138 के खाता संख्या–14 के प्लॉट संख्या–115, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 193, 199, 203, 208, 213, 216, 218, 223 के कुल रकवा–20.04 एकड़ के खतियानी रैयत नेमधारी महतो का वंशज है। यह कि नेमधारी महतो का एक बड़ा भाई तिलक महतो थे, जिनके नाम का जमीन वो पिता– खुशी महतो के नाम का जमीन का कोई वर्तमान में विवाद नहीं है। यह कि नेमधारी महतो अपनी पीछे दो पुत्र देवनाथ महतो वो गौरी महतो को छोड़कर मरे तथा गौरी महतो नावल्द मरे, जिस कारण देवनाथ महतो जमीन्दार को मालगुजारी अदा करके जमीन्दारी एवं सरकारीरसीद हासिल किये। यह कि देवनाथ महतो अपने नाबालीग पुत्र क्रमशः आवेदन अनुग्रह यादव वो प्रताप यादव, गोपाल यादव, विदयानन्द यादव, सूचित यादव, शम्भु यादव, नंदकिशोर यादव को छोड़कर वर्ष 1968 ई0 में मरे, तथा पत्नी सोहबतीया अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। जिस कारण चरण महतो वो लोचन महतो

के द्वारा वाद भूमि पर बटाईदार के हैसियत से खेतीबारी करके फसल को आधा बाँटकर देते रहे, आवेदक एवं उनके छोटे भाई लोग पुरी तरह से निःसहाय हो गये। जिस क्रम में उक्त लोग वाद भूमि के उपज के आधे फसल में से कुछ बेचकर लगान अदा करने के नाम पर धोखा देकर मसो0 सोहबतीया देवी से दो पुराना रसीद ले लिये, जिसके बाद सोहबतीया देवी की मृत्यु हो गयी। जब आवेदकगण को होश हुआ तो लगान देने हेतु कर्मचारी से सम्पर्क किये और मंग पंजी–2 देखा तो पाये कि **मॉंग पंजी में छेड़छाड कर मोहिब महतो वो राघो महतो का नाम जोड़कर** चार दशक के बाद वर्ष 2016 ई0 रसीद निगत कर लिए, जबकि **मोहिव महतो वो राघो महतो का नेमधारी महतो** से कोई रक्त संबंध नहीं है।'' **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–''यह कि प्रश्नगत भूमि खाता सख्या–14, प्लॉट संख्या–115, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 193, 199, 203, 208, 213, 216, 218, 223 कुल रकवा–20.04 एकड़ भूमि मौजा–सरजामातु, थाना नं0–138, थाना–कुन्दा, जिला–चतरा सर्वे खतियान में नेमधारी महतो पिता–खुशी महतो के नाम से दर्ज है। यह कि प्रश्नगत खाता संख्या–14, मौजा–सरजामातु खेवट सख्या–04 से बना जिसके ''खेवटदार'' खुशी महतो थे। **अपीलार्थी एवं विपक्षीगण खुशी महतो के वंशज हैं।** यह कि खेवटदार खुशी महतो अपने पीछे सात पुत्रगण क्रमशः नेमधारी महतो, तिलक महतो, बेचन महतो, रामदेव महतो, रामु महतो, चरण महतो, लोचन महतो है।''

3) लंबे समय से कायम जमाबंदी का मामला – अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा आदेश फलक में उल्लेखित किया गया है कि–''प्रश्नगत भूमि क्रमिक खतियान के अनुसार मध्यवर्ती भू–स्वामी खुशी महतो के नाम दर्ज है तथा अभिधारी में नाम नेमधारी महतो पिता–खुशी महतो ग्राम–सरजामातु दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष के पूर्वज देवनाथ महतो, मोहिव महतो–व–राघो महतो के समय से ही दखल कब्जा रहा हैं। तथा उक्त तीनों व्यक्ति का नाम लम्बे अर्सो दिनांक–29.11.1955 से जमाबंदी कायम है तथा उक्त तीनों व्यक्ति के नाम प्रश्नगत भूमि का लगातार राजस्व लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत हुआ है। वर्तमान अवधि में भी प्रश्नगत भूमि पर उक्त तीनों व्यक्ति देवनाथ महतो, मोहिव महतो एवं राघो महतो के वंशजों का दखल कब्जा बरकरार है। उभय पक्ष के लोगों का आपसी बंटवारा के मुताबिक प्रश्नगत भूमि पर पुराना–नया घर मकान बना हुआ है/फसल पैदा कर अपने–अपने उपभोग में ला रहे है साथ ही उभय पक्ष के बीच प्रश्नगत भूमि का क्रय विक्रय हुआ है।''

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में उभय पक्षों के बीच वंशावली को लेकर विवाद हैं। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। संबंधित जमाबंदी लंबे समय से कायम है। वाद से संबंधित भूमि में स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। इस

न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामलें में सक्षम न्यायालय/civil court ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय/civil court की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कुन्दा को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

22/12/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

22/12/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.24 22:36:08 -07:00
Location: 2409:40e4:6e:dc94:a228:730f:89ad:22f